UPJB010059002025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जनपद अमरोहा

पीठासीन अधिकारी–संजय चौधरी (उच्चतर न्यायिक सेवा)
फौजदारी निगरानी सं०–284/2025
सोनिया उर्फ काजल बनाम उ 0 प्र 0 राज्य आदि

आदेश

दिनांकः–03.06.2026

निगरानी की पत्रावली सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई है। इस निगरानी के द्वारा अपर सिविल जज/जे0 एम 0 तृतीय, अमरोहा के आदेश दिनांक 20.09.2025 को प्रश्नगत किया गया है , जिसके द्वारा परिवाद संख्या 1276/ 2025 , सोनिया उर्फ काजल बनाम रेखा आदि को जांच के उपरांत अंतर्गत धारा 226 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में खारिज किया गया है।

02. मामले के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं की निगरानीकर्ता सोनिया के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को आदेश दिनांक 18.01.2025 को परिवाद में दर्ज किया गया जिसके तथ्य यह थे कि परिवादिया व अन्य विधवा, वृद्ध और बेरोजगार लगभग 25 महिलाओं ने 3 वर्ष पूर्व एक कमेटी बनाई है , जो आपस में रुपया एकत्रित करके मकान निर्माण , शादी विवाह आदि में रुपया देकर एक दूसरे की मदद करती हैं। वर्ष 2021–22 में महिला श्रीमती रेखा पत्नी जोगेन्द्र ने दस लाख रुपए कमेटी से उधार लिए परंतु वापस नहीं किये। दिनांक 19.06.2024 की सुबह 4:00 बजे रुपए वापस लेने पहुंचे तो गंदी–गंदी गालियां दी , लात घुसों से मारपीट की और परिवादिया तथा अन्य महिलाओं को बंधक बनाकर गिराकर मारपीट करते हुए कपड़े फाड़ दिए एवं अश्लील हरकतें की। इस घटना के समर्थन में परिवादिया ने स्वयं को , सविता को, सायरा को तथा ममता सहित तीन महिलाओं को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है। जांच के उपरांत विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा यह पाया कि मामला रुपयों के लेनदेन के विवाद का है , दीवानी प्रकृति का है, बिना पर्याप्त आधार के आपराधिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है , इस निष्कर्ष के साथ परिवाद को खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध यह निगरानी दायर की गई है

03. निगरानी याचिका पर बल देते हुए विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा कहा गया कि रुपयों के विवाद के साथ मारपीट आदि की घटना पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने विचार नहीं किया। इस मामले में आपराधिक विधि के तथ्य विद्वान हैं, गवाहों ने घटना का समर्थन किया है , इसलिए तलबी पारित करनी चाहिए थी। अतः प्रश्नगत आदेश को अपस्त किया जाए और विपक्षीगण को तलब किया जाए।

04. इस निगरानी के निस्तारण के लिए पत्रावली पर उपलब्ध निम्न तथ्य विचारणीय है–

i. *पत्रावली पर ऐसा कोई भी प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है , जो यह है दर्शाता हो कि 25 महिलाओं की कौन सी कमेटी बनाई गई थी, कमेटी के पास कितना रुपया था, रुपया बैंक में*

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.06.03 16:25:47 EDT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जमा था अथवा किसी के घर रखा रहता था और जरूरत के समय रुपया उधार देने की क्या व्यवस्था थी , जो व्यक्ति उधार लेता था , उसकी कोई लिखा पढ़ी होती थी अथवा नहीं।

ii. उपरोक्त विषय पर प्रश्न पूछने पर बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि समस्त लेखा जोखा विपक्षी रेखा और जोगिंदर करते थे और रुपया भी इन दोनों के पास ही एकत्रित रहता था।

विद्वान अधिवक्ता का यह कथन अभिलेख से समर्थित नहीं है , क्योंकि परिवाद की ही पांचवी पंक्ति में लिखा हुआ है कि "25 महिलाओं की कमेटी का रुपया, लेनदेन , देखभाल का कार्य प्रार्थिनी करती है" अर्थात निगरानीकर्ता ने स्वयं को कमेटी की देखभाल करने वाला बताया है। ऐसी दशा में यह आवश्यक था कि कमेटी की कार्य संचालन से संबंधित पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता। दस लाख रुपये की धनराशि ऐसे बेरोजगार और कमजोर वर्ग की 25 महिलाओं के लिए छोटी धनराशि नहीं है , जिसे बिना लिखा पढ़ी के ऐसे ही किसी को उधार दे दिया जाए।

iii. रुपया सन 2021–22 में दे दिया गया है, कब तक वापस का बचन दिया गया था , ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। कमेटी के नियम के अनुसार उधार धनराशि कब तक वापस करनी होती थी , इसका भी कोई उल्लेख नहीं है , इसलिए वर्ष 2021–22 में लिए गए उधार की वापसी के लिए जुलाई 2024 में मुकदमा दर्ज किए जाने का प्रार्थना पत्र पर्याप्त विलंब से दिया गया प्रार्थना पत्र है।

IV. निगरानीकर्ता ने अपने परिवाद में कहा है कि उसे बंधक बनाकर जमीन पर गिराकर मारापीटा , उसके साथ अश्लील हरकतें की गई, पहने हुए कपड़े फाड़ दिए गए जबकि गवाही में प्रस्तुत हुई महिलाएं जिन्हें साथ जाना बताया गया है , उनमें से सी.डब्लू. 1 सविता का यह कहना है कि रुपये वापस करने को मना कर दिया , मारने को चढ़ आई, खींचातानी में सोनिया के कपड़े फट गए , रेखा के पति योगेंद्र और लड़की मधु भी घर पर थी। इस बयान से यह स्पष्ट हो रहा है कि रुपयों के विवाद में केवल रेखा के द्वारा निगरानीकर्ता सोनिया से विवाद किया , हाथापाई नहीं की, बल्कि हाथापाई करने के लिए चढ़ आई और खींचातानी में कपड़े फाड़े।

05. उपरोक्त समस्त परिस्थितियों में विचार करने के उपरान्त यह स्पष्ट हो रहा है कि मामला उन रुपयों के लेनदेन का है , जिनका कोई हिसाब निगरानीकर्ता के पास नहीं है , रुपयों के उधार देने का भी कोई लिखित प्रमाण नहीं है , इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि किस पक्ष के रुपयें किस पक्ष पर उधार हैं। रुपयों के इस विवाद में वाद विवाद की घटना को बढ़ा–चढ़ाकर अश्लीलता और कपड़े फाड़ने को सम्मिलित किया गया है ताकि मामला अधिक गंभीर रूप प्राप्त कर ले। इन परिस्थितियों में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्त किए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं हो रहा है। रुपयों के वापस के लिए और लेखा–जोखा के लिए सिविल का मुकदमा मुकदमा दायर किया जा सकता है , विद्वान मजिस्ट्रेट का यह मत भी अनुचित नहीं है। **अतः निगरानी को खारिज किया जा रहा है।**पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए

दिनांक–03.06.2026

(संजय चौधरी)

Id. No:–UP6401

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–3

जनपद अमरोहा